हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.07.2023 मंत्रायलिक कर्मचारियो की सामूहिक अवकाश व हड़ताल समाप्त होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट कि प्रार्थना–धारा 5 मियाद अधिनियम व मूल अपील पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि भूमि खसरा नं. 2474 किस्म चारागाह कि भूमि पर 0.60 है0 पर कब्जा चला आ रहा है। जिसमें अपीलान्ट का पूर्व से ही कब्जा है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के तहत रिपॉर्ट तैयार कर नायब तहसीलदार खण्डेला कार्यालय ने पेश कि रिपॉर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिस संबंध में अपीलान्ट द्वारा जवाब के लिए समय चाहा एवं यह भी बताया कि रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा चल रहा है। दिनांक 28.08.2017 कि तारिख दी गई और 28.08.2017 को साक्ष्य सबूत पेश करने का अपीलान्ट को मौका नहीं दिया गया और उसी रोज अपना रिर्णय पारित कर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया। खसरा नं. 1227 उक्त भूमि के सींवो जोड़ है। अपीलान्ट के भूमि के चारो ओर चार दिवारी लगा रखी है। अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिपोर्ट पेश कर अपीलान्ट का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बता रहा है। अपीलान्ट खसरा नं. 2451 का रकबा 0.32 है0 है तथा रखरा नं. 2474 का रकबा 0.30 है0 पर पूर्वजो के समय से काबिज है। नवीन सटैलमैन्ट में खसरा नं. 2474 व 2451 का नक्शा तरमीम करते समय गलती की गई है। जिसको दुरस्त करवाने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला में वाद विचाराधीन है। अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। दिनांक 28.08.2017 का निर्णय से नकल मिलने का दिनांक 08.09.2017 तक का समय क्षम्य किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिस बाबत दफा 5 का प्रार्थना–पत्र भी पेश किया है अतः अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर नायब तहसीलदार खण्डेला के मुकेदमा नं. 4/2017 उनवानी सरकार बनाम बजरंग वगै. निर्णय दिनांक 28.08.2017 निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का न्यायहित स्वीकार किया जाता है। मूल अपील में पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 के तहत जो रिपॉर्ट पेश कि गई है। जिसमें अपीलान्ट को भूमि खसरा नं. 2475 किस्म चारागाह रकबा 0.60 है0 पर अतिक्रमण किया जाना बताया है। अपीलान्ट को नोटिस का जवाब पेश करने व साक्ष्य सबुत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अवलोकन से यह भी पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा रिपॉर्ट के पीछे ना तो कोई नजरी नक्शा बनाया है एवं ना ही चारों दिशाओं का माप अंकित किया गया है एवं अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण कहाँ किया गया है उस स्थान को भी चिन्हित किया गया है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

इससे यह प्रतीत होता है पटवारी हल्का द्वारा जो रिपॉर्ट पेश कि गई है वो मौके पर जाकर तैयार नहीं कि गई है। एवं नायब तहसीलदार खण्डेला द्वारा दिनांक 28.08.2017 को जो निर्णय पारित किया गया है जिसमें भी इन बिन्दुओं कि बिना जाँच किये किया गया है। जो न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। इस आधार पर प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों कि पुष्टि होती है। इस प्रकार अपील साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा नं. 4/2017 उनवानी सरकार बनाम बजरंग वगै. निर्णय दिनांक 28.08.2017 को अपास्त किया जाता है अपील अपीलान्ट नायब तहसीलदार खण्डेला को इस आदेश के साथ रिमाण्ड कि जाती है कि मौके पर जाकर अतिक्रमण रकबे कि नाप–चोक कि जावे एवं इसी कि साथ नजरी नक्शा तैयार कर उसके चारो दिशाओं नाप अंकित कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु नायब तहसीलदार खण्डेला को तहरीर जारी कि जावें। आदेश आज दिनांक 07.07.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीमकाथाना (सीकर)
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner